# REQUEST FOR SELECTION(RFS) DOCUMENT FOR

SOLAR PROJECT DEVELOPER(s) FOR SETTING UP TO 320 MW GRID CONNECTED GROUND MOUNTED SOLAR PV POWER PROJECTS ON BUILD-OWN-OPERATE BASIS AT JALAUN, UTTAR PRADESH ON LAND AVAILABLE FOR 30 YEARS LEASE WITH UPNEDA.

RFS No: 02 /UPNEDA /JALAUN SOLAR PROJECT/RFS /2024

Dated: 16.11.2024

**Issued By:** 



Uttar Pradesh New & Renewable Energy Development Agency (UPNEDA), Deptt. of Additional Sources of Energy, Govt. of U.P. Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. – 226010 Tel.No. 0522-2720652, Telefax: 0522-2720779, 2720829

Website: www.upneda.org.in.

Email: <a href="mailto:compneda@rediffmail.com">compneda@rediffmail.com</a>

**NOVEMBER 2024** 

#### DISCLAIMER

- This Request for Selection (RFS) document is not an agreement or offer by the UPNEDA to the
  prospective Bidders or any other party. The purpose of this RFS is to provide interested parties
  with information to assist the formulation of their Bid. This RFS is based on material and
  information available in public domain.
- 2. This RFS, along with its Formats, is not transferable.
- 3. While this RFS has been prepared in good faith, neither UPNEDA nor its employees make any representation or warranty express or implied as to the accuracy, reliability or completeness of the information contained in this RFS.
- 4. Neither UPNEDA, nor its employees will have any liability to any Bidder or any other person under the law of contract, tort, the principles of restitution or unjust enrichment or otherwise for any loss, expense or damage which may arise from or be incurred or suffered in connection with anything contained in this RFS, any matter deemed to form part of this RFS, the award for supply of power, the information supplied by or on behalf of UPNEDA or its employees, any consultants or otherwise arising in any way from the selection process for the Solar Project Developer(s).
- 5. This RFS is not an agreement and is neither an offer nor invitation by UPNEDA to the prospective Bidders or any other person. The purpose of this RFS is to provide interested parties with information that may be useful to them in the formulation of their Offers pursuant to this RFS. This RFS may not be appropriate for all persons, and it is not possible for UPNEDA, its employees or advisers to consider the objectives, technical expertise and particular needs of each party who reads or uses this RFS. The assumptions, assessments, Statements and information contained in this RFS, may not be complete, accurate, adequate or correct. Each Bidder should, therefore, conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, adequacy, correctness, reliability and completeness of the assumptions, assessments and information contained in this RFS and obtain independent advice from appropriate sources.
- 6. UPNEDA also accepts no liability of any nature whether resulting from negligence or otherwise however caused arising from reliance of any Bidder upon the Statements contained in this RFS .UPNEDA may in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information, assessment or assumption contained in this RFS.
- 7. The Bidder shall bear all its costs associated with or relating to the preparation and submission of its Offer including but not limited to preparation, copying, postage, delivery fees, expenses associated with any demonstrations which may be required by UPNEDA,

- or any other costs incurred in connection with or relating to its Offer. All such costs and expenses will remain with the Bidder and UPNEDA shall not be liable in any manner whatsoever for the same or for any other costs or other expenses incurred by a Bidder in preparation for submission of the Offer, regardless of the conduct or outcome of the Selection Process.
- 8. UPNEDA will have power to amend/ review/ interpret any of the provisions under this RFS and any other Rules/Regulations/Policy whichever applicable as and when required.

Place:Lucknow Date: 16.11.2024

### **BID DATA SHEET**

		D (C C ) (C C ) (D C C )
		Request for Selection(RFS) document for Solar Project
		Developer(s) for setting up to 320 MW Grid
		connected Ground Mounted Solar PV Power projects
		on Build-Own-Operate Basis at Jalaun, Uttar Pradesh
1	Name of the Work	on land available for 30 years lease with UPNEDA.
2	RFS No & Date	
		02 /UPNEDA /JALAUN SOLAR PROJECT/RFS /
		2024 Dated 16.11.2024
3	Type of RFS/Tender	E-Tender
4	Document fee/ Cost of RFS document	Amount: INR 25,000/+18%GST=INR 29500 (Indian
	(non-refundable).	Rupees Twenty-Nine Thousand Five Hundred Only)
		including GST to be submitted either through NEFT/
		RTGS transfer in the account of UPNEDA , or in the
		form of DD/ Pay Order along with the response to RFS
		in favor of " Director
		UPNEDA", payable at "Lucknow"
5	Document processing Fee	Rs. 2 Lakh +18% GST with each Bid to be submitted
	(nonrefundable)	either through NEFT/RTGS transfer in the account of
		UPNEDA, or in the form of DD/Pay Order along with
		the response to RfS in favour of
		"Director, UPNEDA", payable at "Lucknow"
<u> </u>		

6	Earnest Money Deposit	2 % of the cost of the estimated value to be submitted
		either through NEFT/RTGS transfer in the account of
		UPNEDA, or in the form of DD/ Pay Order along with
		the response to RfS in favor of "Director, UPNEDA",
		payable at
		"Lucknow"
7	Land Lease Period	30 Years
8	Pre-Bid Meeting	Not Applicable
9	Last Date & Time of Online	
	Submission & Offline submission for	25.11.2024 up to 18:00 Hrs.
	Originals of Tender Fee and EMD	
	Documents	
10	Techno-Commercial Bid Opening	26.11.2024 at 12:00 Hrs
11	Financial Bid Opening	To be Intimated later.
12	Name, Designation, Address and other	Director,
	details (For Submission of	Uttar Pradesh New & Renewable Energy
	Response to RFS )	Development Agency,
		Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow Phone:-
		9415609007, Tele Fax: 0522-2720779, 0522- 2720829, Email: compneda@rediffmail.com/
		ho nks@rediffmail.com Website:
		www.upneda.org.in
13	Details of persons to be contacted in	

case of any assistance required	Shri. Narendra Singh
	Senior Project Officer
	Uttar Pradesh New & Renewable Energy
	Development Agency, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
	Lucknow Phone:-9415609007, Telefax:
	0522-2720779, 0522- 2720829, Email: ho_nks@rediffmail.com Website: www.upneda.org.in

#### 1. INTRODUCTION AND PROJECT OVERVIEW

#### A. About UPNEDA

The Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) is committed to advancing the state's renewable energy infrastructure and achieving its sustainability goals. In alignment with this vision, UPNEDA is pleased to announce the invitation for RFS for the development of a 320 MW solar power plant by providing land on lease. This initiative is part of a broader strategy to enhance renewable energy capacity, reduce carbon emissions, and contribute to the nation's clean energy transition.

#### **B. PROJECT OVERVIEW**

The proposed solar power project is envisioned to be a state-of-the-art facility that shall harness solar energy to generate 320 Megawatts (MW) of Solar power. This project aims to significantly contribute to Uttar Pradesh's energy mix and bolster the state's renewable energy footprint. To facilitate the development of this solar power plant, UPNEDA will provide the necessary land on a lease basis. The allotment of the land to the successful bidder for setting up of the solar plant shall be based on the price quoted for land lease per acre per year. The successful bidder will sign the land lease agreement with UPNEDA after allotment of land as per the evaluation criteria. Draft Land Lease agreement can be downloaded from the official website of UPNEDA after the allotment of land. The Total Land available with UPNEDA for which this RFS is invited is 1292.46 Acres. The Proposed Project capacity which is to be set up is 320 MW.

#### 2. INSTRUCTIONS TO BIDDERS

The Bidder may download Instructions to bidders form the website of UPNEDA and https://etender.up.nic.in/.

#### 3. ELIGIBILITY CRITERIA

#### A. Technical Eligibility Criteria

The Bidder must have successfully completed or substantially completed similar works during last seven years ending last day of month previous to the one in which applications are invited should be either of the following:

I. Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40(forty) percent of the estimated cost; or

- II. Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50 (fifty) percent of the estimated cost; or
- III. One similar completed work costing not less than the amount equal to 80 (eighty) percent of the estimated cost.

#### Note:

- a. Similar works means setting up of grid connected ground mounted solar PV project on Build own and operate basis.
- b. For contracts under which the applicant participated as a joint venture member or subcontractor, only the applicant's share, by value, shall be considered to meet this requirement. For arriving at cost of similar work, the value of work executed shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of seven percent per annum, calculated from the date of completion to the date of Bid opening.
- c. Bidder to provide work order and completion certificates in lieu of technical eligibility criteria.
- d. Estimated cost will be calculated by considering the quantity of land quoted by bidder, converting it to the MW Capacity (i.e by 4 Acre /MW) and the final cost will be derived based by further considering INR 4 Cr/MW.

#### **B. Financial Eligibility Criteria:**

- I. The Net-Worth (as per Companies Act 2013) of the Bidder or its Affiliate or Parent / Ultimate Parent as on date of financial year ending on 31.03.2024 as the case may be, shall not be less than INR 0.95 Crores (Rs.95,00,000/-) per MW of the capacity quoted. In case the Bidder is a newly formed company, supported by documentary evidence of its recent formation at ROC or in case the net worth of the Bidder is not meeting the require criteria on the dates mentioned above, the bidders can submit the Net-worth credentials based on latest available date and UPNEDA at its own discretion shall accept or reject the same subject to submission of CA Certified Net worth Certificate and meeting the technical eligible criteria.
- II. The Annual turnover of the bidder shall be minimum INR 2 Crores (Rs 2,00,000,00 /-) per MW in any last 07 Financial years. Bidders shall submit the Audited balance sheet for the respective years.

#### Note:

1. For the Eligibility Criteria INR 4 Cr (Rs 4,00,00,000 /-) per MW is considered for evaluation.

2. The Bidder may be a Company or Consortium and must be registered as per the companies act 1956 or 2013.

#### 4. EVALUATION CRITERIA

#### A. Technical Evaluation Criteria (Envelope-1)

i. Technical Bid evaluation will be carried out considering the information furnished by Bidders as per the eligibility criteria specified in clause no-2 of this RFS.

#### Note:

a. During the examination of the bids, UPNEDA may seek clarifications/ additional documents to the documents submitted etc. from the Bidders if required to satisfy themselves for meeting the eligibility conditions by the Bidders. Bidders shall be required to respond to any clarifications/ additional documents sought by UPNEDA within 05 (Five) days from the date of such intimation from UPNEDA.

#### B. Financial Evaluation Criteria (Envelope-2)

- i.The Bidder will have to submit financial bid quoting Land Lease Price in Rs / Acre/ Year for the applied capacity. The Price in Rs/ Acre/ Year must be quoted in multiples of 100 only beyond the minimum limit specified in the RFS.
- ii. A maximum quantum of 1292.46 Acres can be quoted by the bidders. iii. Minimum value (Floor limit) of quoted Land Lease Price shall be INR 15000/ Acre / Year. Bidders quoting less than the Minimum value shall not be considered for financial bid evaluation.
- iii. If the Price quoted is same for two or more Bidders, then the Bidder with higher quoted capacity (in acres) shall be ranked higher, the Bidders with same Land lease charges and same quoted capacity shall be considered of equal rank/ standing in the order.

#### iv. Ranking of bidders after Financial Bid Evaluation:

Following illustrates an example of ranking of bidders after financial bid opening and evaluation.

Bidder	Submitted Price (Rs/MW/Year)	Quoted Capacity (In Acres)	Ranking
B1	Rs 18000 /Acre / Year	1292	Н1
B2	Rs 18000 /Acre /Year	750	H2
В3	Rs 16000 /Acre /Year	750	НЗ
B4	Rs 15000/ Acre/ Year	750	Н4

- In case of tie between Land Lease charges and quantum of Land in acres, tie-breaking shall be done by considering the bidder having **higher technical expertise**.
- Bidders can submit a bid for all villages, any group of villages, or a single village.
- If a bidder is bidding for all villages or multiple villages, the same land lease charges must be quoted for villages
- Land allocation will be based on the highest land lease charges quoted by the bidder.
- If a bidder quotes for all or multiple villages, the land will only be allocated for the villages
  where the lease charges are highest. The remaining villages will be allocated to the bidders
  who have quoted the highest lease charges for those specific villages.
- In the event that multiple bidders quote the same lease charges, the bidder with the higher capacity will be prioritized for land allocation.
- If bidders quote identical land lease charges and the same number of villages, they will be considered of equal rank. In such cases, the tie will be broken by evaluating the bidder's technical expertise, specifically the installed capacity (MW).
- If bidders are tied in rank and standing, the tie will be broken first by the number of villages quoted. If the tie persists, the bidder with the higher technical expertise (measured in MW capacity commissioned) will be prioritized.
- Financial evaluation will be based on the aforementioned criteria.
- Bidders must submit the completed format for quoting land lease charges as provided.

#### 5. PAYMENT TERMS

 The Payment for the land lease charges to UPNEDA by the solar power project developer shall be made in advance on yearly basis with respect to the quoted charges for lease of land in RS /Acre/year.

#### 6. FORMS & FORMATS

The Bidder may download Forms and Formats form the official website of UPNEDA and <a href="https://etender.up.nic.in/">https://etender.up.nic.in/</a>

#### 7. ANNEXURES:

#### 1. Details of the Site Location

S.No	District	Tehsil	Subdivision	Village	Area	Tentative Capacity
					In Acres	(MW)
1	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Pal	119.22	30 MW
2	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Malthua	168.41	42 MW
3	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Inguai	165.71	40 MW
4	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Dahelkhand Mustikil	295.58	72 MW
5	Jalaun	Madhogarh	Madhogarh	Gopalpura	12.28	3 MW
6	Jalaun	Madhogarh	Madhogarh	Rampura	11.87	3 MW
7	Jalaun	Madhogarh	Madhogarh	Supa Nunaich	202.89	50 MW
8	Jalaun	Orai	Orai	Dadri	316.50	80 MW
Total A	area Available a	ind Tentative p	roposed Capacity		1292.46	320 MW

#### Note:

- 1. The Above Capacities mentioned are purely tentative and based on simple calculations (i.e Based on tentative area requirement in Acres/MW). The Bidder/Developer needs to access the exact capacity by according to their own design and engineering.
- 2. Power Evacuation: The Developer has to arrange at its own for the Power evacuation from the Proposed 320 MW Solar power project.
- 3. Land Details: Enclosed with the Bid Document.

Note: UPNEDA will have power to amend/ review/ interpret any of the provisions under this RFS and any other Rules/Regulations/Policy whichever applicable as and when required.

#### Covering Letter

(To be Submitted on the Letter head of the Bidder)

To,
Director,
Uttar Pradesh Renewable Energy Development Agency
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow, Uttar Pradesh-226010

Subject: Bid for Setting up of Grid Connected Ground Mounted Solar PV projects on Build Own and Operate Basis.

I/We...... Bid for ------ Acres in----- (Pal /Malthua /Ingui/Dahelkhand Mustkil /Supa Nunaich/Dadri/ all 06 villages) in Jalaun district for setting up ----MW grid connected Ground Mounted solar PV power projects on build-own-operate basis at Jalaun, Uttar Pradesh on land available for 30 years lease with UPNEDA. We have Furnished our Price Bid in the Financial Bid Format.

Name of the Authorized Person

Designation of the Authorized Person

Seal & Signature of the Authorized Person

#### Note:

- 1. The bidder must provide a Power of Attorney in favor of the Authorized Person.
- 2. The bidder must specify the quoted area in acres, the names of the villages, and the MW capacity, following the format provided above.
- 3. Any covering letter with insufficient information will be subject to rejection.



# कार्यालय जिलाधिकारी जालीन।

आदेश

उत्तर प्रदेश शजस्व संहिता 2006 (उठण अधिनियम गंठ 06 गन् 2012) की धारा 50 की उपजारा (4) के उत्तर प्रदेश शजस्व संहिता नियमावली 2010 के नियम 55 द्वारा प्रारा शिवत तथा शासकीय अधिमृत्यना संख्या-32 /744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का संपर्धांग करते हुये. भूगि प्रवन्धक समिति पाल तहसील कालपी के प्रसाव दिनांक 16 12 2023 पर उपजिलाधिकारी कालपी की संस्तुति दिनांक 31 01 2024 के आधार पर. मैं राजेश मुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालीन, संलग्न अनुसूधी में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूधी के स्तम्म 6 में उल्लिखित गाँव समाओ / स्थानीय पाधिकारियों में निहित थी, स्तम्म 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं।

क्o संo	जिला	तहसील	परगना	गॉव . ः्रे	गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	सूची <u></u> गाटा संख्या	क्षेत्रफल (दे०में)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयो जन जिसके लिए मूरि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जालीन	कालपी	कालपी	पाल	पाल	48 355 357/1 522/2 610/2 542/3 9/4 19/2 20/2 359/2 500/3 554/3 560/3 11/4 17/4 23/4 28 34/4 60 61/3 62 65 66 114/4 473/2 481/2 482/2 485/3 487 494 503 508/2 509/2 581/8	0.121 0.178 1.550 0.146 0.121 0.069 1.214 0.174 0.283 0.174 0.105 5.255 0.376 0.202 0.364 0.142 0.638 0.316 0.397 0.686 0.180 0.243 0.166 0.142 0.061 1.270 1.040 0.490 0.227	5—1 / नवीन परती 5—2 / पुरानी परती 5—3 / वंजर 5—3 - उ / वंजर 6—4 / वंहड	सौर कज परियोजना के विकास हेत् अतिरिक्त कर्जा खोत विमाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष की अविध के लिए पट्टें पर।

		(TD			
		599/2	0.178	6-4 / वेहड	
		602/4	0.101	6-4 / वेहड़	1
1 1		604/9	3.517	6-4 / वेहड	1
		627 / 5	0.206	6-4 / येहड	
		631/3	0.223	6-4 / बेहड	1
		633 / 5	5.070	6-4 / बेहड़	1
1 1 1		634/3	13,351	6-4 / बेहद	ı
		637/2	0.429	6-4 / बेहद	1
		647/5	0.499	6-4 / बेहड़	1
1 1		671/2	1.287	6-4 / बेहड	1
		672/2	0.789	6-4 / बेहद	1
1 1		676/3	0,380	6-4 / बेहड़	l
	Language Language	680	0.454	6-4 / बेहड	1000000000
		683 / 4	0.705	-6-4 / <b>बेह</b> ड़	والمعاردا وو
		691/2	0.615	6-4 / बेहड़	
		698/2	0.198	6⊸4 ∕ बेहड़	l
		700/2	0,490	6-4 / बेहड	1
		51 किता	48.267	S-1 (6) (18% (1) (2) (3)	1
				1	

-

जनपद जालौन में लखनक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीनेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त उपका) को सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु निदेशक यूपीनेडा के पन्न संख्या 4540/नेडा-एसई-सोलर पार्क/01/232/71/2014-15 दिनोंक 24.11.2023 में किये गये अनुरोध पर ग्राम पाल तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुमाग-1 के कार्यालय द्वाप (संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अतिठऊठलेठिवि/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में ची गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० को 01 रूपये प्रति एकड़ की दर से कुल 119.22 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रूपये 119.00 (रूपये एक तौ उन्नीस मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गडीत भूमि राजस्व अमिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 — भूराजस्व- 800 —अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंठित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से मिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय) जिलाधिकारी जालौन 100 14- 02-2024

पत्रांक 5.30 /आठ-डी०एल०आर०सी०

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत दिमाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2 निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विमूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

3 उपजिलाधिकारी कालपी।

4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० द्वारा सांकेतिक मूल्य/वार्षिक किराया, रूपये 119.00 (रूपये एक सी उन्नीस मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्य अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त घनराशि लेखाशीर्षक "0029 – मूराजस्य- 800 –अन्य प्राप्तियाँ-08 –गालिकाना राजरव-0808-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ " में जमा कर ट्रेजरी घालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्य अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धरण खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत करायें।

दिनांक:

5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेवित कि वार्षिक किराया रूपये 119.00 (रूपये एक सौ उन्नीस मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा करायें तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार कालपी को एवं छायाप्रति मूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।

अध्यक्ष, मूमि प्रबन्धक समिति पाल तहसील कालपी जनपद जालीन।

(राजेश कुमार पाण्डेय) जिल्लाधिकारी जालीन।०८

### कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० ०६ सन् २०१२) की धारा ५७ की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली २०१६ के नियम ६५ द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या—32/744/एक—1—2016—20(5)/2016 राजस्व अनुमाग—1 लखनऊ दिनांक ०३ जून २०१६ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति मल्थुवा तहसील कालपी के प्रस्ताव दिनांक १५०१,२०२४ पर उपजिलाधिकारी कालपी की संस्तुति दिनांक ०८०२,२०२४ के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्म ६ में उल्लिखित गाँव समाजों / स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्म १० में दिये गये प्रयोजन हतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

<b>₹</b> 10	जिला	स्इसील	परगना	गाँव	गाँवसुमाः / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफ ल (देवमें)	मूमि — की श्रेष प्रकृति	作/	विवरण / प्रयो जन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
•	जातीन	कालपी	कालपी	मल्युया	मल्युवा	17/2 204 315/3 316/2 317 849/2 853 884/4 885/5 1106/2 1128 1140/2 1153/2 1155/2 1158/2 1161/2 1169 1170/3 1173 1174 1185 1268/2 953/2 1084/2 33/3 167 1058 1148 1149 1151/1 1085/1 1085/1	0.057 0.077 0.117 0.001 0.012 0.744 0.162 0.073 0.142 0.227 0.227 0.024 0.125	5-1/नवीन	परती	तिए पट्टें पर।



			33/4	0.016	5-2/परती कदीम	
	1 1 1		190/4	0.247	5-2 / परती कदीम	
			228/2	0.069	5-2/परती कदीम	
			323/1	0.045	5-2 / परती कदीम	- 1
1		1	/2	STATE STATE OF		
	1 1 1	1	336/1	0.040	5-2/परती कदीम	- 1
	1 1 1		338	0.344	5-2/परती कदीम	
	1 1 1		356	0.040	5-2/परती कदीम	- 4
	1 1 1		1101	0.300	5-2 / परती कदीम	
	1 1 1	1	1133	0.649	5-2/परती कदीग	- 4
	1 1 1		1138/2	0.405	5-2/परती कदीम	- 1
	1 1 1	- 1	1159/2	0.101	5-2/परती कदीम	
	1 1 1		1165/2	0.324	5-2/परती कदीम	
	12 E part 1	71	-1269/2		5-2/परती- कदीम	
			1111/2	0.010	5-2/परती कदीन	
1	1 1 1		364/4	0.223	5-2/परती कदीम	
			334/1	0.093	5-2/परती कदीम	
			340	0.356	5-2 / परती कदीम	İ
	1 1 1	1	350	0.340	5-2/परती कदीम	
			30	0.061	6-4 / बेहड	
1	1 1 1		302	0.874	6-4 / वेहड	
	1 4 1		335	1.072	6-4 / बेहड	
	1 1 1		341	1.602	6-4 / बेहड	- 1
	1 1 1		1189	1.858	6-4 / बेहड	
	1 1 1		1057 / 2	D22325	6-4 / बेहड	
	1 1 1		1095	0.600	6-4 / बेहड	
	1 1 1		1095/2	1 YOC 5 910	6-4 / बेहड	
	1 1 1	300	1120	0.312	6-4 / बेटड	
			1129	1.032	6-4/बेहड	
			1130	0.672	6-4 / बेहड़	
			1171	0.012	6-4 / बेएड	
	1 1 1	1	1134	4.565	6-4 / बेहड	
	1 1 1		1136	2.306	6-4 / बेहड	
	1 1 1		1137	4.565	6-4 / बेहड	
	3 1 1	-	1139	0.488	6-4 / बेहड	
			1145	0.101	6-4/बेहर	
			1146	0.038	6-4 / बेहर	
	er"		1147	2.225	6-4 / बेएड	
			1154	2.655	6-4 / बेहड	
		- 1	1157	1.056	6-4 / बेहर	
18			1160	3.444	6-4/468	
10	1 1 1	100	1164	0.445	6-4/468	
			1166	0.063	6-4/बेहर	
	1 1 1		1167	4.249		
1			1168	2.205	6-4/बेहरा	
		V	1175	1.087	6-4/बेटरा	
			100000000000000000000000000000000000000			
			1178	0.202		
			1180	0.117	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	1 1		1182	1.882		
			1183	2.323		
			1184	1.100		
			1194	0.364		
1			1196	1.295	6-4/बेहर	

9	6-4 / बेहड़	0.259	1198				- 1		
	6-4 / नेहड	0.166	1200/3						
1	6-4 / वेहड	4.026	1201				- 1	- 1	
	6-4 / बेहद		1202		1	4 3		1	
	6-4 / बेहर		1204					- 1	
	6-4 / बेहड	3.359	1205					1	1
	6-4 / बेहड	0.328	1212		1				
	6-4 / बेहड	0.652	1141/1		1				
	8-4 / बेएड	0.328	1142						
	6-4/ <del>403</del>	1.514	1086		1	1		- 1	
	6-4 / बेहद	0.789	1162		1				-
	6—1 / बेहद	0.607	1144			1		- 1	
	6-4 / बेहड	0.664	339	100		1		- 1	1
+15	ه ميراند	68.183	99 किता					1 2	1

जनपद जालीन में लखनक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीनेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त उपकम) को सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 4540 / नेडा-एसई-सोलर पार्क / 01 / 232 / 71 / 2014-15 दिनौंक 24.11.2023 में किये गये अनुरोध पर ग्राम मत्थुवा तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुमाग-1 के कार्यालय झाप (संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87 –अति0क0स्रो0वि0 ∕ 2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त कर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० को 01 रूपये प्रति एकड़ की दर से कुल 168.41 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रूपये 168.00 (रूपये एक सौ अडसठ मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विमाग उ०प्र० के नाम ३० वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विमाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्यक "0029 - मूराजस्य- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्य-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि

अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय) जिलाधिकारी जालीन। दिनांकः 24.02.2024

पत्रांक 545 /आठ-डी०एल०आराज्सी० प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा खोत विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

3 उपजिलाधिकारी कालपी।

4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० द्वारा सांकेतिक मूल्य / वार्षिक किराया, रूपये 168.00 (रूपये एक सौ अड़सठ मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्य अमिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08 -मालिकाना राजस्य-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ " में जमा कर ट्रेजरी घालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उवत आदेश का अंकन राजस्व अमिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धरण खतीनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराये।

5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रूपये 168.00 (रूपये एक सौ अउसर्व मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा करायें तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार

कालपी को एवं छायाप्रति भूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।

अध्यक्ष, मृनि प्रबन्धक समिति मल्युवा तहसील कालपी जनपद जालीन।

(राजेश कुमार पॉण्डेय) जिलाधिकारी जालीन।

## कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० ०६ सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या—32 / 744 / एक-1-2010—20(5) / 2016 राजस्व अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक ०३ जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति सरैनी मुस्तिकल तहसील कालपी के प्रस्ताव दिनांक 11.12.2023 पर उपजिलाधिकारी कालपी की संस्तुति दिनांक 31.01.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालीन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अन तक उपरोवत अनुसूची के स्तम्म ६ में उल्लिखित गाँव सभाओं / स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता है।

				-	_अनुसू	-	American	भमि की	विवरण / प्रयो
ФO <del>ti</del> o	जिला	तहसील	परगना	गौय	गॉवसमा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी/ प्रवृग ति	जन जिसके लिए भूमि पुनर्बहीत की जा रही है।
-	- 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2 जालीन	कालपी	कालपी	इंगुई	सरेनी मुस्तिकल	25/2 31/2 40/2 41 42/3 44 45/2 46 47/2 49/2 91/3 92/3 94 95 96/2 99/2 100/4 102/4 103/2 104/5 105/2 106 122/2 129/3 130 131 132/2 133 134 135/3 136 137 138/6	0.053 1.376 0.117 0.300 0.117 0.393 0.476 0.162 0.575 0.158 0.571 1.469 1.538 0.243 0.684 0.174 1.331 1.133 2.120 4.253 2.327 6.022 0.170 0.979 0.664 2.602 3.173 4.209 4.998 1.602 3.703 2.444 13.375	4 / 4   6   6   6   6   6   6   6   6   6	सीर कज परियोजना के विकास हेत् अतिरिक्त कर्जा स्रोत विमाय उत्तर प्रदेश के पस में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।

139/2	0.360	6-4 / वेहड़
22/11	3.217	6-4 / वेहड़
35 Prim	67.090	

जनपद जालीन में लखनऊ सोलर पायर देवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीनेडा एवं सोलर इनजी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त उपक्रम) को सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु निदेशक यूपीनेटा के पत्र संख्या 4540/नेशा-एसई-सोलर पार्क/01/232/71/2014-15 दिनौंक 24.11.2023 में किये गये अनुरोध पर प्राम हैंगुई तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुमाग-1 के कार्यांसय ज्ञाप (संशोधन) रांठ्या-5/2023/प्र0'स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87 −अति0ऊ0रवो0िव0 / 2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा खांत विमाग ७०७० को 01 रूपये प्रति एकड की दर से कुल 165.71 एकड हेतु सांकेतिक मूल्य रूपये 166.00 (रूपये एक सी छियासट मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्पहीत मूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त घनराणि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्य- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्य-080६-प्रकीर्म प्राप्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से मिन्न होने पर मूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

> (राजेश कुमार पाण्डेय) जिलाधिकारी जालौन।% दिनांकः 14.02.2024

पत्रांक 529 /आठ-डी०एल०आरासी०

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेवित।

 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विमाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु। 2 निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विमूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

3 उपजिलाधिकारी कालपी।

4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत दिमाग च०प्र० द्वारा सांकेतिक मूल्य / वार्षिक किराया, रूपये 166.00 (रूपये एक सौ क्रियासट मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्य अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त घनराशि लेखाशीर्षक "0029 – मूराजस्व– 800 –अन्य प्राप्तियाँ–08 —मालिकाना राजस्य—0806—प्रकीर्ण प्राप्तियाँ " मैं जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही चक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धरण खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत करायें।

5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रूपये 166.00 (रूपये एक सी छियासठ मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा करायें तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार

कालपी को एवं छायाप्रति मूलेख कार्यालय को मी उपलब्ध करायें।

5 अध्यक्ष, भूमि प्रवन्धक समिति सरैनी मुस्तिकल तहसील कालपी जनपद जालौन।

(राजेश कुमार पाण्डेय) जिल्लाधिकारी जालीन। 00



## कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

अदिश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० ०६ सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावती 2016 के नियम 55 हारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुमाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 हारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रवन्धक समिति दहेलखण्ड मुस्तकिल तहसील कालपी के प्रस्ताव दिनांक 11.01.2024 पर उपजिलाधिकारी कालपी की संस्तुति दिनांक 31.01.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्म 6 में उल्लिखित गाँव समाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्म 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हैं।


	and the same of th	the second secon	I have been been been a		-अनुसूधी-	And the second	-	0 0 00	Person /11
क0 सं <b>0</b>	जिला	तहसील	परगना	nid ,	गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफु ल (दे०में)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्र योजन जिसके लिए भूमि पुनग्रंहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	य जालीन	कातपी	कालपी	दहेलखण्ड मुस्तकिल	दहेतखण्ड मुस्तिकत	3/2 13/1 420 597/2 599 603 608 601 598 834 842 851 854/1 874/1 3 4 5 8/3 8 9/3 11 12/1 418/2 574/1 575 576 577 578/4 580/2	0.202 0.117 0.101 0.251 0.093 0.186 0.158 0.166 0.154 0.077 0.065 0.016 0.032 0.320 1.237 2.159 1.399 1.214 0.065 0.655 0.181 0.607 1.639 17.297 4.931 1.518 6.232 2.246 5.078	5-2/परती कदीम 5-3-3./ बंजर 6-4/ वेहड़	सौर कर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त कर्जा स्रोत विमाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।

अनिवार्यं रूप से वापिस ले ली जायेगी।

ДЗ/ (एनेश कुनीर चान्डेय) विज्ञाविकारी जालीन।०८ दिनोकः <u>13-02-202</u>€

प्रकार 528 / कार-बीजरताव्याचित्र विश्वास प्रियम् विश्वास प्रियम् विश्वास प्रियम् विश्वास प्रियम् विश्वास विश्

उ उपनिकासिकारी कालपी।
व स्वतीतरात कालपी को इस आवाय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा लोड विभाग उठका इस्त सांक्रेरिक मृत्य / वार्षिक किरामा, रूपने 20000 (रूपने दो सी विमानवे मात्र) जन्य करने पर 20 वर्षीय पट्टे पर राजान समितियों में अर्थित की आपंधी। उपनिकास प्रभावित संख्यार्थिक "0025 — पूरावाक- 800 —आगा प्रारीमी-08 —महिकारवा राजास-0806—पदीर्थ प्राप्तियों " में जास कर ट्रेजरी प्राप्तान की प्रति प्रमुख्य करने पर ही प्रका आदेश का अंकर राजस्य अमितेयां में कारके पुनि का कामा प्रवान किया जाय। उद्धान करने पर ही प्रका आदेश का अंकर राजस्य अमितेयां में कारके पुनि का कामा प्रवान किया जाय। उद्धान करने से एक प्रति इस वार्यास्थ्य को अभित्यार्थ व्यवस्थ कराये तथा सम्बन्धित विचान को पी अन्यात कराये।







### कार्यासय जिलाधिकारी जालीन।

प्रसार प्रदेश पायस्य परिता २००० (५३६० अधिनिका को ६० वर्ग २००३) की बारा ६० की राज्यात (४) को सन्दर (५) तथा प्रदान पायस्य परिता निकायको २००० को निवा ६० प्राता प्राप्त सनिव देशा सावादीय अधिसूचना क सन्द्र (म) तथा प्रकार राजस्य राजस्य राजसा । तथानावसा 2010 के निवार 80 जान आपा कार्या द्रापा सामानावस अवस्थित संख्या—32/244/एक-1-2016-20[5]/2016 राजस्य अनुसार-1 सामानाव दिनांक १० पूर्व 2016 पान प्रतिनिधित अधिकारों का प्रपांत कारों हुई, गूमि प्रकारक समिति गोसासपुरा राजसीय सामानाव के प्रसाद दिगांक १६८३,2024 एर प्रजीवसाधिकारी मानीगढ़ की शंस्तुनि दिनांक 20,03,2024 के आधार पर, मैं राजेश सुनार पान्टेन, जिस्साधिकारी आलोग, संसाद अनुसूची में चिस्तिकत भूमि, को अब तक प्रयावक अनुसूची को सामा ६ में प्रतिनिधा गीय रामानों /क्यानीय प्रतिकारियों में निविध की, सामा १० में दिये नवे प्रशीवन हेतु किर से अनने अधिकार में सेता हूँ।

AP CAR	জিলা	वहसील	परणग	गाँव	-अनुस् र्गावशामा / ज्यानीय प्राधिकारी	भाटा रोक्या	शेत्रक स (रेक्ने)	भूगि की संगी/ प्रकृति	विवरग्/प्रयो पूर्न जिसाके तिए पूर्णि पुरावेटील की जा पठी है।
1	2	3	4	. 5		7	8	9	10
1	पालीन	मधीनक	<b>দার্থী</b> গড়	गोपाश पुरा	गोचलपुरा	2014 20098 2554 2002 2030 2030 2030 2032 2082 2082 2080 to filter	0.009 0.170 1.125 0.009 2.778 0.175 0.202 0.202 0.020 0.192 4.970	०-1/गयीन पत्ती ०-1/गयीन पत्ती ०-1/श्रेष्ठ । ०-1/श्रेष्ठ । ०-1/श्रेष्ठ । ०-1/श्रेष्ठ । ०-1/श्रेष्ठ । ०-1/श्रेष्ठ । ०-1/श्रेष्ठ । ०-1/श्रेष्ठ ।	तीर कर्ना परियोक्तमा के विकास केतु अधिरिक्त कर्ना भीत विभाग कर्म विभाग के पक्ष में 30 वर्ष भी अपनि के विस्था पर्देश


क्रमण्ड जालीन में नार्व ईश्टेन इलेक्ट्रिक पावर कारपेरेशन, नई दिस्तों को सौर पावर परियोजना की स्थायना हेतु निर्देशक यूचैनेका के पत्र संख्या 8117/यूपैनेहा-एसई/ओपैन एस्सेस/2023 ए.ट. नवीन एवं स्वीकरणीय कर्जा दिकास क्रिक्टस, दिनुशिकण्ड, गोन्सीनगर, सखनक दिनौक 2802,2024 में सिये गये अनुसेव पर साम सोचारपुरा ग्रहसील मायोगढ़ में जलार प्रदेश शासन पालक अनुसार—। के स्वायंत्रय ग्राप्त्रसीकन्। संग्रह्म-6/2025/कारण-65/एक-1-2023-स0—। दिनोक 18-03-2023 एवं शासनावेश संग्र्या—1050/87— अतिकारकारोदीक/2023 दिनांस ६३ अगस्य २०23 में दी गयी व्यवस्थानुसार अदिनिया कर्णा स्रोत विभाग पराध्य स्रो आराज्यकाराक / 2023 प्रशास के अगस्त 2023 प्रशास व्यवस्था प्रशास अध्यास करण सात विश्वम पाछ स्था ०१ करके प्रति एकड़ की यर से सुरू 12.26 एकड़ हेतु सांबंधिक मूहब कर्या 12.00 (सबसे बारह मात्र) वार्षिक किरावा प्रमा करने पर पुनर्वाहित भूमि राजस्य अभितेखों में अदिशिक्त कर्या सीत विभाग करका से मात्र 30 वर्षों हेतु क्ट्रें पर क्षण्यक होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किरावा प्रतिवर्ष, 30 वर्षों एक जमा करमा होगा। कपरोक्त प्रमारति लेखारीर्षक "0029 = गुराकाद= 800 स्थाम्य प्रतिवर्ध-20-मानिकामा राजस्य-0326-प्रशामी प्रतिवर्धी से जमा हो जावेगी। वह कि शाबिदत सी गयी भूमि का क्षर्योग दिये गये प्रयोजन से मिन्न होने पर भूमि अनिवार्ध स्था से द्यपिश से सी जावेगी।

(शनेश कुनार पान्धेय) जिलाधिकारी जातीन।

Rule: 22. 03. 2024

के 256-77 कार न्यान्य एवं आवश्यक कार्यवादी हेतु श्रेषित। लिए-किनोर्शिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवादी हेतु श्रेषित। अनर मुख्य सर्विद अविरिक्त कर्जा क्षेत्र विचान, स्टब्स स्थानम् को आवश्यक कार्यवादी हेतु। निदेशक, स्टब्स नवीन एवं मधीकाणीय सामी जिलास अधिकारम्, विमूक्तिसम्ब, गोमसीनगर्, स्थानकः।





### कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उठप्रठ अधिनियम संठ 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपचारा (4) के खण्ड (ग) तथा उठप्रठ राजस्य संहिता नियमायली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्य अनुमाग-1 लखनक दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिद्धित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति रामपुरा माधौगढ़ तहसील माधौगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 15.03.2024 पर उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की संस्तुति दिनांक 20.03.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालीन, संलग्न अनुसूची में चरिलाधित मूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्म 6 में चरिलाधित गाँव समाओं / स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्म 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में

क0 संo	<b>নি</b> লা	तहसील	परगना	गॉव	-अनुस् गौवसमा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफ ल (हे०गें)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृष्टि	विवरण/प्रयोजन जिसके सिए भूगि पुनर्प्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जालीन	<u>দাঘী</u> শক্ক	माघीगढ	रामपुरा माधौगढ़	रामपुरा माधौगढ़	20ज/ 59	4.504	6-4∕बेहड	सौर कर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त कर्जा स्रोत विमाग उत्तर प्रदेश के पस में 30 पर्व की अवधि के लिए पददे पर।

जनपद जालीन में नार्ध ईस्टेन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली को सौर पावर परियोजना की स्थापना हेत्. निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 6177/यूपीनेडा-एसई/ओपेन एक्सेस/2023 उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनयर, लखनऊ दिनोंक 28.02.2024 में किये गये अनुरोध पर द्याम रामपुरा माद्यौगढ तहसील माद्यौगढ़ में उत्तर प्रदेश शासन राजस्य अनुमाग-। के कार्यालय आप्(संशोधन) संख्या-5/2023/प्रवस0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अतिककास्रोक्षिक / 2023 दिनांक 03 अमरत 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त कर्जा स्रोत विभाग उठाव को 01 रूपये प्रति एकड की दर से कुल 11.87 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रूपये 12.00 (रूपये बारह मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त कर्जा खोत विभाग उ०प्र० के नाम ३० वर्षों हेत् पदटै पर उपलब्ध होगी। गृहीता विमाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षो तक जमा करना होगा। उपरोक्त घनराशि लेखाशीर्षक "0029 – भूराजस्व– 800 –अन्य प्राप्तियाँ–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" मे जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

> (राजेश कुमार पाण्डेय) जिलापिकारी जालौन Loc

पत्रांक 566-C/आठ-डी०एल०आकारी०

दिनांकः 22.03.2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेवित।

अपर मुख्य सिवव, अतिरिक्त फर्जा त्वेत विभाग, उठप्रठ शासन लखनक को आवश्यक कार्यवाही हेत्।

निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभृतिखण्ड, गोगतीनगर, लखनऊ।

उपजिलाधिकारी माधीगढ़।

तहसीलदार माधीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त फर्जा खोत विमाग ए०७० द्वारा सांकेतिक मुल्यू / वार्षिक किराया, रूपये 12.00 (रूपये बारह मात्र) जमा करने पर 50 वर्षीय पदटे पर राजस्व अभिक्षेत्रों हे

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।


आवेश

तालार प्रदेश राजस्य संतिया 2000 (तामक अधिनियम संक on सन् 2012) की धारा 60 की सप्यास (4) को दरका (म) तथा रक्षका पाजस्य संक्रिया नियमावली 2010 को नियम 55 प्रास्त प्राप्त भवित तथा जासकीय अधिसूचना परिया-३३ / १४४ / एउ:-1-२०१०-२०(s) / २०१० पाजस्य अनुमान-१ सरसन्तर विशोक ०३ जून २०१७ हारा प्रतिनिद्धित अधिकारों का उपयोग करते हुंगे, गुनि प्रवणक समिति सूपा मुगाइचा तहसील माचीनव के प्रस्ताव दिनांक 16,03,2024 पर उपिल्लाभिकारी माधीगढ की संस्तुति दिगांक 20.03.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुगार पाण्डेय, जिलाचिकारी जासीन, संसम्न अनुसुधी में उल्लिखित मूमि, जो अब एक उपरोक्त अनुसूबी के साम 6 में उल्लिखित गाँव सम्बद्धी ∕रूपानीय प्राधिकारियों में गिहित थी, स्ताम 10 में दिये गये प्रयोजन ईतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं।

क्छ संध	जिसा	तहसील	परगना	गौव	-अगुर गौयसगा / स्थानीय प्राधिकार	गाटा संख्या	क्षेत्रप स (देवगे)	मूमि की श्रेणी/ प्रकृ ति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए गूरि पुनर्ग्रहीत की ज रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Commenter of the Comm	जालौन	मापीगढ	माधीगद्	सूपा नुनाइधा	सूपा नुनाइचा	327年, 344年, 593年, 673年, 689年, 704年, 774年, 969年, 1000年, 1011年 673/ 1450	0.518 0.854 28.231 7.645 1.761 18.923 11.205 1.740 8.102 0.202 1.704 1.254	0-1/450 0-1	सौर कर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त कर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।

जनपद जालौन में नार्थ ईस्टेन इसेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली को सौर पावर परियोजना की त्थापना हेतु, निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 6177/यूपीनेडा-एसई/ओपेन एक्सेस/2023 उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अनिकरण, विमृतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ दिनौंक 28.02.2024 में किये गये अनुरोध पर ग्राम सूपा नुनाइचा तहसील माधीयढ में उत्तर प्रदेश शासन राजस्य अनुभाग-। के कार्यालय झाप(संतोधन) संख्या-5/2023/प्रवस0-53/एक-1-2023-राव-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति०क्कालीविक/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा लोत विभाग उ०प्र० को 01 रुपये प्रति एकड की दर से कुल 202.89 एकड हेतु सांकेतिक मूल्य रूपये 203.00 (रूपये दो सौ तीन मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत मूर्गि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम ३० वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ग, ३० वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि क्षेत्राशिर्षक "0029 - भूराजरव- 800 -अन्य प्राप्तियौ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्रास्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

> (राजेश कुमार पार्ण्डेय) जिलाधिकारी जालीन।०८





Refer 562-8/ann-Augmenturific.

1 are you take a strong another material by then 1
2 Februaries at agreem and them, today arest status all amends and attents in a service and of a strong and them affected (hyphanic, structure, among it is a service)
2 Februaries and the structure and them affected (hyphanic, structure, among it is an arise and a service and a serv

O Scanned with OKEN Scanner

### कार्यालय जिलाघिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजरव संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमायली 2016 के नियम 55 हारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या—32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुमाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 हारा प्रतिनिष्ठित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रवन्धक समिति ददशे तहसील उर्व्ह के प्रस्ताव दिनांक 23.02.2024 पर उपजिलाधिकारी उर्र्ह की संस्तुति दिनांक 01.03.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालीन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अम तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्म 6 में उल्लिखित गाँव समाओं. /स्यानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्म 10 में दिये गये प्रयाजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

कo संo	जिला	तहसील	परगना	गौव	—अनुः गाँवसमा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)	मूनि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण / प्रयोजन जिसके लिए भूनि पुनर्ग्रहीत की ज रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जातीन	उरई	उरई	ददरी	ददरी	1839 1840 1841 / 9 1842 1852 1970 1973 1974 / 3 1975 1977 1978	4,497 16,187 8,793 25,232 3,096 18,146 15,113 5,505 12,509 10,360 8,701 128,139	8-2/à65 8-2/à65 6-2/à65 6-2/à65 6-2/à65 6-2/à65 6-2/à65 6-2/à65 6-2/à65 6-2/à65	सीर कज परियोजना वे विकास हैर् अतिरियत कज स्रोत विमाग उत्तर प्रदेश वे पस में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टें पर।

जनपद जालीन में लखनक सीलर पावर डेवलपमेंट कारपरिशन लिमिटंड (एलएसपीडीसीएल) को सीर फर्जा परियोजना के विकास हेतु, निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 5767/यूपीनेडा-एसई सीलर पार्क/एलएसपीडीसीएल/2014-15 उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अमिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ दिनोंक 09.02.2024 में किये गये अनुरोध पर ग्राम ददरी तहसील उरई में उत्तर प्रदेश शासन राजस्य अनुमाग-1 के कार्यालय ज्ञाप(संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अठि0ऊ०स्कोठियिऽ/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुतार अठिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० को 01 रूपये प्रति एकड़ की दर से कुल 316.50 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रूपये 317.00 (रूपये तीन सौ सत्तरह मात्र) यार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गहीत मूमि राजस्य अमिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पद्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनशिश लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ- में जमा की जायेगी। यह कि आयंटित की गयी मूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से निन्न होने पर मुमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय) जिलाधिकारी जालीन।

पत्रांक <u>555</u> / आठ-डी०एस०आकासी० दिनांकः <u>04.03.2024</u> प्रतिलिप-निन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेवित।

1 अपर मुख्य सथिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ००० शासन सखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2 निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अमिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

उपजिलाधिकारी जरई।

sentiment and all the arms of after the articleme and the flows tone ten was a selected forms, and 1970 (west the site and server and arms and arms and arms and arms and arms and arms are are a gradue were and arms as a gradue were and arms are a fact and arms are a fact arms are a fact and arms are a fact arms are a fact and arms are a fact are arms are a fact arms and arms are a fact arms are a fact arms are a fact arms and arms are a fact arms

Scanned with OKEN Scanner